



२९४।।

प्र० क्रमांक - 2286709
2286710

नव बेता फैल, 10 अशोक मार्ग, लद्दाख 226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

पत्रांक : २१९६ /०५/७६/एक/२०१५-१६
संदेश में,

दिनांक : २५ अगस्त २०१५

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
जनपद-वस्ती।

विषय : पित्तीय वर्ष २०१५-१६ में सूडा द्वारा आपके जनपद (दूड़ा) को अल्पसंख्यक बाहुल्य वसितियों तथा मलिन वसितियों में स्थीकृत परियोजनाओं की घनराशि का प्रेषण।

महोदय,

अभिकरण द्वारा पित्तीय वर्ष २०१५-१६ में आपके जनपद को शहरी दोत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य वसितियों तथा मलिन वसितियों में इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु (अनुदान संख्या-३७/४३) में निम्नलिखित विवरण के अनुसार घनराशि अवमुक्त कर दी गई है:-

घनराशि का प्रेषण (लाख रु० में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	घनराशि
एंक्सेस बैंक	915010021963517	IFSC Code UTIB0000855	14.246

क्र० रो०	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	वस्ती/वार्ड का नाम	द्वितीय किशोरी की घनराशि का प्रेषण (लाख रु० में)
1	वस्ती	अल्पसंख्यक ३७ बजट	न०पा००० वस्ती	मो० नरहारिया में निसार अहमद के सामने रो साधू राण के घर तक तथा मंगरु के घर से अधारे के घर तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	14.246
	योग				14.246

उपरोक्त अवमुक्त घनराशि का व्यय शहरी दोत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य वसितियों तथा मलिन वसितियों में सी०सी० रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु स्वीकृत औरपी०आर०/परियोजना वे अनुसार कार्य कराया जायें। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य रामात् होने के पश्चात् फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जायें।

- १— उ०प्र० सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप शहरी दोत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य वसितियों तथा मलिन वसितियों में सी०सी० रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु स्वीकृत औरपी०आर०/परियोजना वे अनुसार कार्य कराया जायें। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य रामात् होने के पश्चात् फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जायें।
- २— स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और रूबना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।
- ३— प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम रार से तकनीकी स्वीकृति आवश्य प्राप्त कर ली जाये तरपश्चात् ही कार्य आरम्भ कराया जाये।
- ४— अवमुक्त की जा रही घनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से घनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्भिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की विधि में प्रश्नगत घनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- ५— स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनादेश या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/गियम एवं पर्यावरणीय व्यव्यता के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।
- ६— प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी घनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुरिका के सुरांगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य रामादित कराते हुये किया जाये।
- ७— परिसम्पत्तियों के सूजन उपरान्त रागय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में सम्पुष्टि रख-रखाव में कोई वाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सूजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।



29812

दूरभाष— 2286709
2286710

नव घोला गंड, 10 अशोक नगर, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

- 8— योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2015-16 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित व्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।
- 9— उक्त धनराशि दूड़ा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिवचनों के अनुरार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्थीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य कराया जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही राशि से पूर्ण हो जायें।
- 10— प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय करों की स्त्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिवचनों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
- 11— अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी परियोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्थीकृत की गई है। उसी प्रकार या व्यवर्तन अनुगम्य न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के क्रम में धनराशि जनपद की अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अंकित कार्यों में यदि कार्य/धनराशि की देशवृत्ति हो रही हो तो उसकी रूबना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उल्लंघनादारी होगे।
- 12— शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगजन के सापेक्ष द्वितीय योजना की धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें अनुगम्य सेन्टेज की धनराशि एवं द्वितीय योजना में 20 प्रतिशत की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष भौतिक प्रगति सहित निर्धारित प्रक्रम पर सूचना अभिकरण की शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे रोकी गयी धनराशि को अवमुक्त किया जा सके।

भवदीय,

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक